प्रेषक

**के0 रविन्द्र नायक,**
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक 21 मई, 2021**

**विषयः**-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से शव वाहन एवं ए0सी0 ताबूत के क्रय एवं आवश्यकतानुसार इनको प्रतिष्ठित समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित कराने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में विधायक निधि से शव वाहन एवं ए0सी0 ताबूत के क्रय एवं आवश्यकतानुसार इनको प्रतिष्ठित समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित कराने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में निम्न प्रावधानों को जोड़ा जाता है-

**(1)** विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत शव वाहन व ए0सी0 ताबूत की खरीद की जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विधायक निधि से खरीदे गये शव वाहन व ए0सी0 ताबूत मुख्य चिकित्साधिकारी को ही उपलब्ध कराए जाए। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश इनके रख-रखाव एवं संचालन में कोई व्यवहारिक कठिनाई होती है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इनको जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्थाओं (**No Profit No Loss** पर ) के माध्यम से संचालित कराने हेतु उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। जनपद में ऐसी ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाये, जो शवों को लाने ले जाने एवं अन्त्येष्टि स्थल तक पहुँचाने में लगातार मदद करती हो। ऐसी संस्था का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाए।

**(2)** उक्त व्यवस्था दिनांक-31.03.2022 तक के लिए ही होगी।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**(3)** विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

**के0 रविन्द्र नायक**
प्रमुख सचिव।

**संख्याः-18/2021/158(1)/अड़तीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1, तददिनॉक।**
**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-440/कार्य0अनु0/ वि0नि0/2021 दिनांक-18.05.2021 के संदर्भ में।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

**अवधेश कुमार तिवारी**
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।